भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *13
उत्तर देने की तारीख 25.11.2024

अभिनय कला में सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

***13. डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन :**

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टूडियो थिएटरों सहित भवन निर्माण अनुदान के लिए अभिनय कला में सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता के अंतर्गत दिए गए अनुदानों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या तमिलनाडु में लाभार्थियों को ऐसा कोई अनुदान दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

'अभिनय कला में सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता' के संबंध में दिनांक 25 नवम्बर, 2024 को डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *13 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): संस्कृति मंत्रालय द्वारा 'स्टूडियो थिएटर सहित भवन निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता की स्कीम' नामक स्कीम संचालित की जाती है जिसके अंतर्गत मंत्रालय मंच कलाओं के लिए व्यावहारिक सांस्कृतिक स्थलों (अर्थात स्टूडियो थिएटर, सभागार, रिहर्सल हॉल, क्लासरूम आदि) के सृजन और विद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, लाइट एंड साउंड सिस्टम आदि जैसी सुविधाएं उपलब्ध करने हेतु गैर-सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों को अनुदान/वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस स्कीम के अंतर्गत, मेट्रो शहरों के लिए 50.00 लाख रुपये तक और गैर-मेट्रो शहरों के लिए 25.00 लाख रुपये तक की अधिकतम सहायता राशि प्रदान की जाती है। कुल अनुमोदित परियोजना लागत की 60 प्रतिशत राशि केन्द्रीय वित्तीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराई जाती है [पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के मामले में 90 प्रतिशत तक] और शेष राशि का वहन, प्राप्तकर्ता राज्य सरकार/गैर-सरकारी संगठन या संबंधित संगठन द्वारा अपने समतुल्य हिस्से के रूप में किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक (21.11.2024 तक) उक्त स्कीम के अंतर्गत संगठनों को जारी की गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक** पर संलग्न है।

(ख) और (ग) : वर्ष 2014 से, इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने हेतु तमिलनाडु राज्य से केवल 3 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	**संगठन का नाम**	**अनुशंसित/गैर-अनुशंसित नहीं**	**अभ्युक्तियां**
2017-18	श्री त्याग ब्रह्म गण सभा, 103 (ओल्ड नंबर 50) जी.एन. चेट्टी रोड, टी. नगर, चेन्नई - 600 017	25,00,000/- रुपये की वित्तीय सहायता हेतु अनुशंसित	संगठन को 25,00,000/- रुपये की अनुशंसित वित्तीय सहायता जारी कर दी गई है और मामला बंद कर दिया गया है।.
2023-24	अविनाशीलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर विमेन,	अनुशंसा नहीं की गई	स्थानीय नागरिक प्राधिकरण की अनिवार्य स्वीकृति के अभाव में आवेदन अपूर्ण पाया गया।

	भारती पार्क रोड, कोयंबटूर, तमिलनाडु-641043		
2023-24	चारसुर आर्ट्स फाउंडेशन, 72 एम तीसरी मंजिल, श्रुति अश्विन अपार्टमेंट, सीपी रामास्वामी अलवरपेट, चेन्नई, तमिलनाडु	अनुशंसा नहीं की गई	राज्य सरकार की ओर से अनुशंसा पत्र, वैध बंध पत्र और सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित भवन योजना जैसे अनिवार्य दस्तावेजों के अभाव के कारण आवेदन अपूर्ण पाया गया।

अनुलग्नक

'अभिनय कला में सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता' के संबंध में दिनांक 25 नवम्बर, 2024 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *13 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक (21.11.2024 तक) स्टूडियो थिएटर सहित भवन निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता की स्कीम के अंतर्गत जारी धनराशि का विवरण

क्र. सं.		(लाख रुपये में)									
	वित्तीय वर्ष	**2020-2021**		**2021-2022**		**2022-2023**		**2023-2024**		**2024-25**	
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संगठनों की संख्या	जारी की गई धनराशि (रु.)	संगठनों की सं.	धनराशि (रु.)	संगठनों की सं.	धनराशि (रु.)	संगठनों की संख्या	जारी की गई धनराशि (रु.)	संगठनों की संख्या	जारी की गई धनराशि (रु.)
1.	अरुणाचल प्रदेश	1	15	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	असम	2	15.4	2	10.3	1	5.4	0	0	0	0
3.	बिहार	0	0	0	0	1	0.6	1	6	0	0
4.	छत्तीसगढ़	1	7.5	0	0	1	7.5	0	0	0	0
5.	दिल्ली	1	6.6	1	10.25	0	0	2	11.20	1	1.25
6.	हिमाचल प्रदेश	1	7.5	3	20.82	1	12.79	1	6	1	12.50
7.	कर्नाटक	2	14	6	49.8	3	26.4	1	25	0	0
8.	केरल	0	0	0	0	1	1.4	0	0	0	0
9.	मध्य प्रदेश	2	7.26	1	4	1	3	0	0	1	9.00
10.	महाराष्ट्र	1	8.8	2	5.4	0	0	2	8	1	10
11.	मणिपुर	6	31.1	2	11.93	4	15.98	6	35.23	1	3.27
12.	मेघालय	0	0	0	0	0	00	0	0	1	4.50
13.	नागालैंड	3	27	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	ओडिशा	4	12.73	1	4	0	0	0	0	1	11.25
15.	पंजाब	0	0	1	1.2	0	0	0	0	0	0
16.	राजस्थान	1	10	0	0	1	7.5	1	2	0	0
17.	तेलंगाना	1	2.86	0	0	1	4.29	0	0	0	0
18.	उत्तराखंड	1	5.51	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	पश्चिम बंगाल	2	22.2	3	15.35	5	34.62	1	15	0	0
कुल		**29**	**193.47**	**22**	**133.05**	**20**	**119.48**	**15**	**108.43**	**7**	**51.77**

*****